

राजस्थान-सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 255 / 2021

बउनवान

पन्नालाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारों
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छीपाबड़ौद
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2- पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 04.01.2022

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 541/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बोरदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्बन्ध 2072 में खसरा नम्बर 291/102 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन/हकत की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 06.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं विवादित आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिनके प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है क्योंकि अतिक्रमित आराजी अकावद डैम के डूब क्षेत्र में तथा अकावद डैम में अतिक्रमित हो चुकी है। अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान भी बकाया नहीं है। अतः अपील को अतिरिक्त न्यायालय में निवेदन है कि निर्णय दिनांक 12.12.2015 अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांत द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी प्रोपर तामील करवाई गई। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांत को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांत द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2070 रबी में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1229/14 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2014 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांत द्वारा पुनः सम्वत् 2072 खरीफ में एवं वर्तमान में भी इसी आराजी पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 3 बीघा अधिक है। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी प्रोपर तामील करवाई गई। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी में अनुपस्थित रहा है। हम परोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 541/2015 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **04.01.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० जिला कलक्टर,
बारां